न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 109/2023/अपील/एलआरएक्ट/बांरा

दायरा दिनांकः 8.6.2023

अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

शंकरलाल पुत्र केसरा जाति कुम्हार निवासी बस स्टेण्ड मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बांरा।

...अपीलार्थी

बनाम

1 देवीलाल पुत्र केसरा जाति कुम्हार निवासी बस स्टेण्ड के पास मांगरोल तह0 मांगरोल जिला बांरा।
2. अब्दुल वहीद पुत्र सरदार खान जाति मुसलमान नि0 मांगरोल तह0 मांगरोल जिला बांरा।
3. प्रेमचंद
4. पप्पूलाल
5. बबलू
पिसरान नाथूलाल जाति कुम्हार निवासी बस स्टेण्ड मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बांरा।
6. सुन्दर बाई पुत्री नाथूलाल पत्नी बंशीलाल जाति कुम्हार निवासी रेल्वे स्टेशन के पास माचिस फेक्ट्री कोटा जिला कोटा राज0।
7. शांतिबाई पुत्री नाथूलाल पत्नि रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी बटावदा तहसील अन्ता जिला बांरा।
8. तस्वीर बाई पुत्री नाथूलाल पत्नी रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी काला तलाब तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
9. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बांरा।
10. उप पंजीयक अधिकारी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बांरा।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री भानू प्रताप सिंह अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री दीपक कुमार साहू अभिभाषक–रेस्पो0 क्रम–1 लगायत 8

::निर्णय::

दिनांक 4.4..2024.

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 18/2018 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट उनवान नाथूलाल बनाम शंकरलाल आदि मे पारित निर्णय दिनांक 27.1.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि नाथूलाल पुत्र केसरा जाति कुम्हार ने तहसीलदार मांगरोल द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 केम्प मुकाम मांगरोल मे दिनांक 29.6.2018 को इंतकाल नं0 2328 अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने हेतु अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई जिसे अधीनस्थ

अति. सं. आयुक्त

न्यायालय ने निर्णय दिनांक 27.1.2021 से स्वीकार कर न्यायालय तहसीलदार मांगरोल द्वारा तस्दीकी इंतकाल नं0 2328 दिनांक 29.6.2018 वाके ग्राम मांगरोल निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.1.2021 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.1.2021 को निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

3 हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलांट एंव रेस्पो0 कम–1 लगायत 8 ने दिनांक 21.3.2024 को मय अभिभाषक के उपस्थित होकर राजीनामा पत्र न्यायालय हाजा मे पेश कर वर्णित किया कि अपीलांट एंव रेस्पो0 कम–1 लगायत 8 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। उभय पक्षकारान को इंतकाल संख्या 2328 दिनांक 29.6.2018 के बावत कोई आपत्ति नही है। रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र के द्वारा रेस्पो0 कम–2 अब्दुल वहीद ने आराजी हिस्सा खरीद किया था, तत्पश्चात रेस्पो0 कम–2 के नाम इंतकाल सं0 2328 दर्ज होकर रेस्पोडेन्ट कम–2 सहखातेदार बन गया इस पर हम उभयपक्ष को कोई आपत्ति नही है। उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के यहा विचाराधीन प्रकरण उनवान शंकरलाल बनाम नाथूलाल वगेरा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीए मे उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है और राजीनामे के आधार पर ही प्राथमिक डिकी जारी हो चुकी है और विभाजन प्रस्ताव न्यायालय मे तलब कर लिया है। हम उभयपक्ष, रेस्पो0 कम–2 के पक्ष मे तस्दीक इंतकाल नम्बर 2328 दिनांक 29.6.2018 से सहमत है अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बांरा के निर्णय 27.1.2021 को खारिज किया जावे ताकि हम उभय पक्षकारान का अधीनस्थ न्यायालय एस0डी0ओ0 मांगरोल मे जेरकार प्रकरण का निस्तारण हो सके। अतः प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया जाकर अपील का निस्तारण इसी स्टेज पर किये जाने की इस्तदुआ की गई।

4 प्रकरण मे उभय पक्षकारान की ओर से दिनांक 21.3.2024 को प्रस्तुत राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया तथा अभिभाषक उभय पक्षकारान को सुना गया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया। हमने पत्रावली एंव अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.1.2021 तथा प्रकरण मे दिनांक 21.3.2024 को प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान द्वारा अपील प्रकरण मे प्रस्तुत राजीनामा विधिसम्मत होने से सहज न्याय के दृष्ट्रिगत स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः मुताबिक राजीनामा अपील इसी स्टेज पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण सं0 18/2018 बउनवान नाथूलाल बनाम शंकरलाल वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 27.1.2021 निरस्त किया जाता है।

5 निर्णय आज दिनांक 4.4..2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा